कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव(छ.ग.)

॥ आदेश ॥

क्रं./6242/अनु.मान्य./2023 राजनांदगांव, दिनांक 25-09-2023

शिक्षा संहिता के अध्याय - 3 के नियम 32,33 के अन्तर्गत निम्न अशासकीय विद्यालय को हाईस्कूल (अनिवार्य सभी विषय) अंग्रेजी माध्यम संचालन हेतु अस्थायी विभागीय अनुमति स्वयं के व्यय पर निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.	विद्यालय का नाम	समिति का नाम	अनुमति स्तर	माध्यम	बोर्ड
1	2	3	4	5	8
1.	संस्कार सिटी इ. स्कूल ठाकुरटोला	गुडलक कम्बाईन एजुकेशन सोसायटी	नवमी से बारहवीं	अंग्रेजी	सी.बी.एस ई

शर्तें :-

1. छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल से विधिवत मान्यता प्राप्त कर छ.ग. माध्य.शि.मं. के निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
2. समिति के स्वयं का शाला भवन हो अथवा समिति शीघ्र भवन निर्माण करायें तथा शाला भवन संचालित कक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित शाला संचालन हेतु मान एवं मानकों के अनुरूप हो।
3. हाईस्कूल हेतु 01 एवं हायर सेकेण्डरी हेतु 03 प्रायोगिक कक्ष अनिवार्य है।
4. शाला की दर्ज संख्या निर्धारित मापदण्ड से अनुरूप हो।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित अर्हताएं तथा विषयों के अनुरूप हों।
6. शाला में शैक्षणिक प्रायोगिक सामग्री एवं उपकरण पाठ्यक्रम अनुसार हो।
7. संस्था के आय व्यय का अंकेक्षण चार्टर एकाउंटेट से कराया जाए।
8. समय विभाग चक्र में स्वास्थय एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य अनुभव का कालखंड निर्धारित की जावे।
9. संस्था के सभी शिक्षकों/कर्मचारियों का वेतन एवं भत्तों का भुगतान रेखांकित चेक से किया जावे।
10. समय-समय पर विभाग द्वारा प्रसारित नियमों/निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
11. विभाग द्वारा किसी भी समय संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
राजनांदगांव
25.9.23

पृ.क्रं./6243/अनु.मान्य./2023 राजनांदगांव, दिनांक 25-09-2023

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
राजनांदगांव
25.9.23

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव(छ.ग.)

॥ प्रपत्र-II ॥

ज्ञाप क्र./6242 /अनु.-मान्य./2022-23 राजनांदगांव, दिनांक 25/09/2023

प्रति,

अध्यक्ष/ सचिव गुडलक कम्बाईन एजुकेशन सोसायटी

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र की तारीख ---- के संदर्भ और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात् वर्ती पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मैं, संस्कार सिटी इ.स्कूल ठाकुरटोला को कक्षा नर्सरी से आठवी तक अ.मा. संचालन हेतु दो वर्षों की अवधि के लिये जो दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2025 तक प्रभावशील रहेगा, अनंतिम मान्यता प्रदान करने लिये संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पुरा किये जाने के अधीन है :-

1- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा VII के पश्चात् की मान्यता/संबद्धता के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के संबंधों का पालन करेगा।

3- विद्यालय कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहिन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों को अनुपालन किया जाएगा।

4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसे प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चे या उनके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।

6- विद्यालय किसी बच्चें को उसकी आयु का सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः-

(I)- प्रवेश दिये गए किसी भी बच्चें को विद्यालय में उस की प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उस विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(II)- कि सभी बच्चें को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(III)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(IV)- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(V)- अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

(VI)- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगें,

(VII)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7- विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिशट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाऍं निम्नानुसार हैः-

(I)-विद्यालय परिसर का क्षेत्र फल कुल निर्मित का क्षेत्रफल,

(II)- खेल का मैदान का क्षेत्रफल,

(III)-कक्षाओं की संख्या,

(IV)-प्रधान पाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष,

(V)-बालकों और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय/पेयजल सुविधा मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोईया,

(VI)-बाधारहित पहुँच,

(VII)-अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकुद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

क्रमशः.02..पर

9- विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षा नही चलाई जाएगी।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाएगा।

11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) की अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड़ क्रमांक संख्यांक ------- है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।

16- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17- संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य शर्त :-

(I)-शिक्षा के अधिकार के तहत् निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. द्वारा WP (PIL) 52/2017 में पारित निर्णय अनुसार निजी विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत् प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री के एवंज में राशि का भुगतान नहीं किया जाए बल्कि उन्हें पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

(II)-विद्यालय में अध्ययनरत् बालक/पालक के द्वारा अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा, ऐसे बालकों द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग किये जाने पर अधिनियम के अध्याय 02 के धारा 5 (1) के पालन में तत्काल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करते हुए ऐसे विद्यार्थियों का समुचित दस्तावेज संधारित की जावेगी।

(III)-अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ ही की जाती है। अतः विद्यालय में नियुक्त शिक्षक अनिवार्यतः न्यूनतम अर्हता रखता हो।

(IV)-विद्यायल का संचालन मध्य सत्र में बंद नहीं किया जावेगा एवं इस कार्यालय के अनुमति के बिना विद्यालय बंद नहीं किया जा सकेगा।

(V)-मान्यता नवीनीकरण का आवेदन मान्यता अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसकी संपूर्ण जवाबदारी संचालक/संस्था प्रमुख की होगी।

(VI)-आपकी संस्था को प्रदान की जा रही यह मान्यता पूर्णतः अस्थायी है, शाला संचालन के किसी भी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि आपके संस्था द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शाला संचालन हेतु वर्णित नियम/निर्देश एवं विद्यालय संचालन के मान एवं मानकों (धारा 19 और 25) का उल्लंघन किया जा रहा है तो यह मान्यता स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिये आप स्वंय जिम्मेदार होगें एवं अधिनियम में उल्लेखित शास्ति हेतु पात्र होंगे।

(VII)-छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-13-19-20-03-2012 रायपुर दिनांक 13-04-2012 एवं आदेश क्रमांक 2887/2016/20-3 रायपुर दिनांक 22/04/2016 अनुसार शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नही,बल्कि समाज सेवा के लिये"न लाभ न हानि" के सिद्धांत पर शाला संचालन किया जाय।

जिला शिक्षा अधिकारी
राजनांदगांव